कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रविप/परिषद सम्बद्धता/2020/1911 लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

—कार्यालय ज्ञाप—

प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा सैशन सत्र 2020-21 हेतु जिन्हीय भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की बैठक में परिषद कार्यालय में दिनांक 14-8-2019 को आयोजित बैठक के उपरान्त संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं का सम्बद्धता सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्र0-3 में "डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम एवंटोरल करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यहां विचार किये जाने निम्नवत निर्णय लिया गया :-

"प्रकाश्य/पीसीआई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2755	001 राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा संस्थान, गंगाचौली, कुर्सी रोड, बाराबंकी	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- समस्त एजेंसी/संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- समस्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रू0 40,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय डी0 फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक छात्रवृत्ति से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्ति से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले मानदेशों प्रभावी होंगे, और तदनुसार शुल्क की धनराशि देय होगी।

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रविप/परिषद सम्बद्धता/2020/1911 लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

—कार्यालय ज्ञाप—

प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैशन सत्र 2020-21 हेतु जिन्हीय भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की बैठक में परिषद कार्यालय में दिनांक 14-8-2019 को आयोजित बैठक के उपरान्त सूचं। सैशन सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्र0-3 में "डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम एवंटोरल करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यहां विचार किये जाने निम्नवत निर्णय लिया गया :-

" किसी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआई0 द्वारा कोई संस्थावार अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं ने पीसीआई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके पास के उपयुक्त अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयोजित सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआई0/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2755	001 राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा संस्थान, गंगाचौली, कुर्सी रोड, बाराबंकी।	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- समस्त एजेंसी/संस्थाओं/पीसीआई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- समस्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, परिषद विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रू0 40,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय डी0 फार्मेसी पाठ्यक्रम (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 22,500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक छात्रवृत्ति से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्ति से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले मानदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3637 लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

—कार्यालय ज्ञाप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैशन सत्र 2021-22 हेतु जिन्हीय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 14/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि अथवा कमी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

संस्था का कोड एवं नाम : 2755-DR. RAJENDRA PRASAD SHIKSHAN SANSTHAN, GANGCHAULI, KURSI ROAD, BARABANKI.

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/फार्मेसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ समस्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, परिषद विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय डी0 फार्मेसी पाठ्यक्रम (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक छात्रवृत्ति से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्ति से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले मानदेशों प्रभावी होंगे, और तदनुसार

SHOT ON REDMI K20
AI TRIPLE CAMERA